भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5224

दिनांक 24 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

सीएसआर योजना

5224. डॉ॰ ए॰ चैल्ला कुमारः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और एजेंसियॉ, कार्पोरेट सामाजिक दायित्व योजना (सीएसआर) के अंतर्गत परियोजनाएं चालू करने के लिए निधि का आबंटन कर रही हैं और उसका उपयोग कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत आबंटित कुल निधि और चलाई गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और कंपनी–वार और राज्य–वार उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार को निधि के मनमाने उपयोग और ठेका देने में तथा इन परियोजनाओं के निष्पादन में गंभीर अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित कुल सीएसआर निधि एवं शुरू की गई परियोजनाओं का विवरण अनुबंध-1 में संलग्न है।

(ग) एवं (घ) सीपीएसई द्वारा सीएसआर के व्यय से संबंधित दिशानिदेशों का अनुपालन न करने का कोई भी मामला पिछले तीन वर्षों के दौरान दर्ज नहीं किया गया है।

अनुबंध ।

एमएमटीसी (लाख रुपए में)

वर्ष	व्यय की गई सीएसआर राशि	राज्य	वर्तमान स्थिति	प्रमुख सेक्टर/विकास क्षेत्र
2016-17	81.41	उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और दिल्ली	पूर्ण	राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) पर्यावरण एवं स्वच्छ भारत, पेय जल , स्वच्छता , स्वच्छ गंगा निधि में योगदान, कौशल विकास, खेलों को संवर्धन, समाज कल्याण।
2017-18	125.9	ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं ओडिशा	पूर्ण	खेलों का संवर्धन, पर्यावरण एवं स्वच्छ भारत, पेय जल, कौशल विकास, स्वच्छ गंगा निधि में योगदान, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, समाज कल्याण।
वर्ष 2017-18 के लिए सरकारी विद्यालय की 500 किशोरी छात्राओं के लिए पुन: प्रयोज्य सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराना तथा दिल्ली में इसके उपयोग के साथ माहवारी स्वच्छता प्रचलनों में परिवर्तन का आकलन प्रगति पर है।				
2018-19	125.4	ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड एवं दिल्ली।		खेलों का संवर्धन, पर्यावरण एवं स्वच्छ भारत, पेय जल, कौशल विकास, स्वच्छ गंगा निधि में योगदान, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सामाजिक कल्याण।
वर्ष 2018-19. के लिए ओडिशा के आकांक्षापूर्ण जिलों के रेगेडा, उत्केला एवं रिसिदा सार्वजिनक स्थास्थ्य केंद्रों में लेबर रूम का निर्माण, आंध्रप्रदेश में किसानों को हाथ में पकड़े जाने वाले कपास प्लकर मशीनों का वितरण एवं झारखंड में कौशल विकास कार्यक्रम प्रगति पर है।				

एसटीसी (रुपए लाख में)

वर्ष	व्यय की गई सीएसआर राशि	राज्य	वर्तमान स्थिति	प्रमुख सेक्टर/विकास क्षेत्र
2016-17	7.36	दिल्ली/एनसीआर	पूर्ण	महत्वपूर्ण धरोहर का संरक्षण, पर्यावरण एवं स्वच्छ भारत।
2017-18	13.71	सभी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश, दिल्ली/एनसीआर	पूर्ण	कौशल विकास, पर्यावरण एवं स्वच्छ भारत।

2018-19	**आपदा संभावित/ प्रभावित समुदाय के लिए 0.7 लाख आवंटित किया गया है तथापि राशि का उपयोग नहीं किया गया क्योंकि प्रस्तावित गतिविधि के लिए आवश्यकता नहीं हुई। यह उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोष के अंशदान को सीएसआर व्यय नहीं माना जाता। इसलिए प्रत्यक्ष कार्यान्वयन या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से आपदा तैयारी या राहत कार्य को सीएसआर व्यय माना जाएगा।**
कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के बाद औसत शुद्ध घाटा दर्ज किया था इसलिए नई सीएसआर गतिविधियों के लिए सीएसआर निधि आवंटित करना अधिदेशित नहीं था। तथापि 2014-15 के बाद भी पिछले वर्ष के कैरी फारवर्ड के आधार पर तत्कालीन चालू परियोजनाओं को जारी रखा गया।	

पीईसी (लाख रुपए में)

वर्ष	व्यय की गई सीएसआर राशि	राज्य	वर्तमान स्थिति	प्रमुख सेक्टर/विकास क्षेत्र
2016-17	24.41	दिल्ली, राजस्थान एवं हरियाणा।	पूर्ण	कौशल विकास, पर्यावरण एवं स्वच्छ भारत, स्वास्थ्य देखभाल संवर्धन, शिक्षा का संवर्धन।
घाटों को देखते हुए वित्त वर्ष 2016-17 के लिए सीएसआर की दिशा में कोई निधि आवंटित नहीं की गई। तथापि, पिछले वित्त वर्ष की अग्रनयन निधियों का उपयोग किया गया इसके अतिरिक्त , घाटों को देखते हुए वित्त वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए सीएसआर की दिशा में कोई निधि आवंटित नहीं की गई।				

आईटीपीओ(लाख रुपए में)

वर्ष	व्यय की गई सीएसआर राशि	राज्य	वर्तमान स्थिति	प्रमुख सेक्टर/विकास क्षेत्र
2016-17	292.00	कर्नाटक, दिल्ली, ओडिशा, समस्त भारत	पूर्ण	पर्यावरण एवं स्वच्छ भारत, कौशल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छ गंगा निधि को योगदान, स्वास्थ्य देखभाल संवर्धन।
		वर्ष 2016-17 के लिए कर्नाटक में खादी ग्रामोद्योग आयोग को चर्खों एवं दिल्ली में प्रयास जूवेनाइल एड सेंटर सोसायटी को एम्बुलेंस का वितरण प्रगति पर है।		
2017-18	332.00	तमिलनाडु राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड,	पूर्ण	कौशल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य देखभाल संवर्धन,

		दिल्ली महाराष्ट्र, ओडिशा, समस्त भारत		लैंगिक समानता, पर्यावरण एवं स्वच्छ भारत, स्वच्छ गंगा निधि को योगदान।
वर्ष 2017-18 के लिए उत्तराखंड में फ्रैण्ड्स ऑफ हिमालया द्वारा एकल महिलाओं को जराचिकित्सा देखभाल में प्रशिक्षण झारखंड में निर्धन ग्रामीण महिलाओं,राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र के वन्चित वर्गों के लिए समूह आधारित आय सृजन, उत्तराखंड में सरकारी स्कूल के छात्रों को सहायता, ओडिसा में स्वास्थ्य देखभाल संवर्धन, दिल्ली में वंचित वर्ग के लिए कौशल विकास, दिल्ली में स्कूली छात्रों को दूध का वितरण प्रगति पर है।				
2018-19	437.00	समस्त भारत, बिहार, दिल्ली, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, हरियाणा।	पूर्ण	कौशल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य देखभाल संवर्धन, लैंगिक समानता, पर्यावरण एवं स्वच्छ भारत, शिक्षा।
दिल्ली में नेत्रहीनों के लिए अंध विद्यालय, संस्थान, ओडिशा में जनजातीय छात्रों के लिए शिक्षा, आंध्रप्रदेश में जनजातीयों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा एवं शिक्षा, दिल्ली में सोसाइटी फॉर पारटीसिपेटरी इंट्रीग्रेटेड डेवलेपमेंट (एसपीआईडी) द्वारा परित्यक्त महिलाओं एवं उनके बच्चों के लिए सहायता, ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया (जीएसआई) , द्वारा वृक्षारोपण एवं हरियाणा में अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन(टीईएसएफ) द्वारा जरुरतमंद बुजुर्गों के लिए परियोजना प्रगति पर है।				

केटीपीओ (लाख रुपए में)

वर्ष	व्यय की गई सीएसआर राशि	राज्य	वर्तमान स्थिति	प्रमुख सेक्टर/विकास क्षेत्र
2016-17	2.50	कर्नाटक	पूर्ण	कौशल प्रशिक्षण
2017-18	2.41	कर्नाटक	पूर्ण	शिक्षा संवर्धन
2018-19	30.00	कर्नाटक	प्रगति पर	पर्यावरण एवं स्वच्छ भारत

टीएनटीपीओ (लाख रुपए में)

वर्ष	व्यय की गई सीएसआर राशि	राज्य	वर्तमान स्थिति	प्रमुख सेक्टर/विकास क्षेत्र
2016-17	48.06	समस्त भारत	पूर्ण	पर्यावरण एवं स्वच्छ भारत, स्वच्छ गंगा निधि में योगदान
2017-18	50.77	समस्त भारत	पूर्ण	पर्यावरण एवं स्वच्छ भारत, स्वच्छ गंगा निधि में योगदान
2018-19	56.37	समस्त भारत, तमिलनाडू	पूर्ण	पर्यावरण एवं स्वच्छ भारत, स्वच्छ गंगा निधि में योगदान

ईसीजीसी (लाख रुपए में)

वर्ष	व्यय की गई सीएसआर राशि	राज्य	वर्तमान स्थिति	प्रमुख सेक्टर/विकास क्षेत्र
2016-17	542.46	महाराष्ट्र समस्त भारत, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक , असम एवं अरूणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल।	पूर्ण	पेयजल, शिक्षा संवर्धन, स्वास्थ्य देखभाल संवर्धन, खेलों का संवर्धन, पर्यावरण एवं स्वच्छ भारत, सामाजिक कल्याण, कौशल विकास
2016-17 के लिए महाराष्ट्र में वंचित छात्रों, सामुदायिक शिक्षा केंद्रों को छात्रवृत्ति, कर्नाटक में स्वास्थ्य देखभाल संवर्धन, असम एवं अरुणाचल प्रदेश में स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कौशल विकास का संवर्धन प्रगति पर है।				
2017-18	1108.00	महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान, असम, एवं अरुणाचल प्रदेश, नई दिल्ली, तमिलनाडु, पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, गुजरात, समस्त भारत	पूर्ण	पेयजल, शिक्षा संवर्धन, स्वास्थ्य देखभाल संवर्धन, खेलों का संवर्धन, पर्यावरण एवं स्वच्छ भारत, सामाजिक कल्याण, कौशल विकास, सशस्त्र बल ध्वज दिवस को योगदान।
2017-18 के लिए महाराष्ट्र में वंचित छात्रों, सामुदायिक शिक्षा केंद्रों को छात्रवृत्ति, सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध कराना, कौशल विकास, पर्यावरण, असम एवं अरुणाचल प्रदेश में स्वास्थ्य देखभाल संवर्धन, शिक्षा, ओडिशा में स्वास्थ्य देखभाल संवर्धन, शिक्षा, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य देखभाल संवर्धन प्रगति पर है।				
2018-19	685.47	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, पूर्वोतर उत्तर प्रदेश, गुजरात, समस्त भारत, सिलवासा, दादर व नागर हवेली, केरल	पूर्ण	पेयजल, शिक्षा देखभाल संवर्धन,खेलों का संवर्धन, पर्यावरण एवं स्वच्छ भारत, सामाजिक कल्याण, कौशल विकास, सशस्त्र बल ध्वज दिवस को योगदान।
वर्ष 2018-19 के लिए महाराष्ट्र में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कौशल विकास, स्वच्छता का संवर्धन, मध्यप्रदेश में शिक्षा का संवर्धन, दिल्ली में शिक्षा का संवर्धन, स्वास्थ्य देखभाल संवर्धन , उत्तर प्रदेश में किसानों के कौशल विकास का संवर्धन, राजस्थान में कौशल विकास प्रगति पर है।				

नोट: सीपीएसई की संधारणीयता और सीएसआर संबंधी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, सीपीएसई अपनी सीएसआर गतिविधियों के अनुसरण में, तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्षों के औसत निवल लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत का अंशदान देते हैं, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) में निर्दिष्ट है। इस कारण, पीईसी लिमिटेड एवं एसटीसी लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 के लिए सीएसआर के अधीन कोई निधि आवंटित नहीं की क्योंकि उनका औसत निवल लाभ नकारात्मक था। इसी प्रकार, एसटीसीएल लिमिटेड को वर्ष 2009-10 से घाटा हो रहा है और वर्तमान में इसे बंद करने की प्रक्रिया में है, इसलिए सीएसआर गतिविधियों के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है।